

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,

पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा०/153/2015—1/465/2015 लखनऊ: दिनांक २० मार्च, 2015

विषय: अनुदान संख्या—83 के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में रु०—4482.320 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या—796/33—3—2015—100 (17)/2014 दिनांक 20 मार्च, 2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014—15 में अनुदान संख्या 83 आयोजनागत मद में प्राविधिक धनराशि रु०—12384.60 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश रु० 3361.740 लाख राज्यांश मद में रु०—1120.580 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रु०—4482.320 लाख (रूपया चौवालिस करोड बयासी लाख बत्तीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:

1— आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के रामबन्ध में वित्ता (आय—व्यय) के अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप सं०—बी—1—2457/दस—2014—231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 एवं वित्ता (आय—व्यय) अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या बी—2—2528/दस—2014—10/77 दिनांक 26 अगस्त, 2014 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई रो अधारश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि निर्धारित शर्तों, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

3— उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य राजकार/केन्द्र राजकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4— प्रश्नगत धनराशि एस०सी०एस०पी० राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस०सी०लाभार्थियों हेतु एस०सी०एस०पी० राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

5— इस सम्बन्ध में समय समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाये परीक्षण/सत्यापन हेतु रागाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

6— भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्थानुसार उक्त आवंटित धनराशि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोमतीनगर, लखनऊ में उ०प्र० स्टेट सेनीटेशन मिशन (एस०एस०एम०) के नाम से खोले गये खाता संख्या—521302010060034 आईएफ०एस०सी० कोड य०३०आई०एन०—०५५२१३५ में जमा किया जायेगा।

7— भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त आवंटित धनराशि निर्धारित समयान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

8— उक्त धनराशि का व्यय एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० के लिए योजना आवोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत मार्ग-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

9— उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या- 83 के लेखाशीषक “२०१५-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-०६-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-०६०१-स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के.७५+स.२५/के.+रा.)-२०-सहायता अनुदान-सामाज्य (गैर वेतन)“ के नामे डाला जायगा।

10— शासकीय व्यय में मितव्ययता निरान्तर आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-९३४/दस-२००८- मित-१/२००७ दिनांक ०२-०९-२००८ का विशेष रूप से पालन किया जायगा।

11— आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर सूखा आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी०एम०-४ पर दिनांक ३१ मार्च, २०१५ तक उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट गैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होंगी।

12— उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

13— उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदार्य होगे।

14— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-८८ पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

वदीय,

छ.०१.१
(उदयर्म सिंह यादव)
१५०८०

पचायत राज उत्तर प्रदेश।

संख्या:१/शा०/१५३/१/२०१५ उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2— वरिष्ठ उपमहालेखाकार रथानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), निकाय तल, १५-१, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, इलाहाबाद-२११००१।
- 3— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुगाम-२, उ०प्र० शासन।
- 5— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6— बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7— उप निदेशक(प०) एवं जिला पंचायती राज अधिकारी(मु०), पंचायती राज निदेशालय उ०प्र०।
- 8— एस०पी०एस०य०० सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-20/03/2015

प्रेषण संख्या:- 1-sha-153-2015-465-2015
 आवंटन आदेश संख्या:- 003-465-2015
 अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)
 लेखाधीषक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
 06 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
 01 - स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान अनुदान -सामान्य (गैर बैतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, 30प्र० , लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	448232000 983680000 448232000 983680000
	योग	वर्तमान प्रगामी	448232000 983680000 448232000 983680000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया चौवालीस करोड़ बयासी लाख बत्तीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया अठानवे करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार

(महेन्द्र नारायण)

मुख्य वित्त एवं लेखाधीकारी